

2026/22

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 130 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र


राजस्व ग्राम <u>सुवावा</u> पंचमं <u>सुवावा</u> भूअंनि०युक्त <u>सुवावा</u> तहसील- <u>सुवावा</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०दि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	77	711	0.5184	दिना पुत्र देवा जाति गारमिया सा. हैट खानेदार रहन - MGB कारमीडा है. मानपु	दिना पुत्र देवा जाति - गारमिया सा. हैट खानेदार रहन - राजस्थान कारमीडा है. शाखा मानपु	


मुताबिक मिसल/जमाबंदी संपन्न 2020-21 (78 अक्टूबर 2026 से शुरु) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।


साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट प्रद्वारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

पहला सुवावा भूअंनि० सुवावा की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण गन्दोबस्त सक्रियताओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

पहला सुवावा भूअंनि० सुवावा राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे।


 दिनांक 19/12/2020
 उपखण्ड अधिकारी (सिरोही)
 तहसील-आबूरोड (सिरोही)


 दिनांक 19/12/2020
 ह० भूअंनि०


 ह० राजस्व अधिकारी
 तहसीलदार आबूरोड
 जिला-सिरोही
 उपखण्ड कार्यालय आबूरोड